राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5267/2022

सरिता –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) और अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, झुंझुनूं।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेतडी।
5. चिकित्सा अधिकरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाणी बाढान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दले सिंह, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र देवता, खेतड़ी, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र चिंचड़ासर, बाड़मेर 500 कि.मी. दूर किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.11.2019 द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान पर समायोजन किया गया था। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए पिक एंड चूज के आधार पर बिना किसी आधार के अधिशेष घोषित करते हुए स्थानान्तरण किया गया है। उनका यह कहना है कि अपीलार्थी अंतरित कार्मिक है और आक्षेपित आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन में है। उनका तर्क है कि उक्त नियम के तहत् एक जिले से दूसरे जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की पूर्व स्वीकृति/सहमति से ही किया जा सकता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र देवता, खेतड़ी, झुन्झुनूं में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी सिहोड़ खण्ड खेतड़ी में किया गया था परन्तु यहाँ पर एएनएम का पद रिक्त नहीं होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर उपकेन्द्र देवता खण्ड खेतड़ी के पद पर समायोजित किया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी की स्थिति स्वमेव ही अधिशेष की हो जाती है। अतः आलोच्य आदेश में विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक..............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य